कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0 –1/श0स्था0नि0/14460/2137 दिनांकः– 18·12·14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत, दलसिंह सराय के वर्ष 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 422/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर पंचायत, दलसिंह सराय
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–422/13–14
अंकेक्षण वर्ष– 2012–13

1. प्रस्तावना

नगर पंचायत, दलसिंह सराय के लेखाओं की नमूना जॉच वित्तीय वर्ष 2012–13 की अवधि हेतु कार्यालय [प्रधान] महालेखाकार (लेखापरीक्षा), के स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, एस.एस.–1, बिहार, पटना के लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 17.06.2013 से 22.06.2013 की अवधि के मध्य किया गया।

2. प्रशासन

क्र.सं.	पद	नाम	अवधि
1	अध्यक्ष(मुख्य पार्षद)	श्री सुशील कुमार सुरेका	01.04.12 से 31.03.13
2	उपमुख्य पार्षद	श्री सुरेन्द्र पासवान	01.04.12 से 31.03.13
3	कार्यपालक पदाधिकारी	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह	01.04.12 से 31.03.13
4	नगर प्रबंधक	श्री रौशन कुमार	01.04.12 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा की अवधि में जो अभिलेख लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध कराये गये तथा जिनकी नमूना जॉच की गयी, की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में तथा वैसे अभिलेख जो या तो संधारित नहीं किए गए थे या जो उपलब्ध नहीं कराये गये, की सूची परिशिष्ट–II में दी गई है।

4. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

नगर पंचायत को निर्गत पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। उपलब्ध कराये गये लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लंबित कंडिकाओं की स्थिति निम्नलिखित थी–

क्र. सं.	ले0प0 प्रतिवेदन सं. (पूर्व का उपलब्ध नहीं)	अवधि	कुल कंडिका	लंबित कंडिका
1	643/2005–06	उपलब्ध नहीं	24	24
2	713/2009–10	2005–06 से 08–09	24	24
3	360/2012–13	2009–10 से 11–12	17	17

टिप्पणी–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन सं. –643/05–06 का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन सं.–643/05–06 से पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिकाओं की सं. तथा उनका अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ग) अनुपालन प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहता है। यह लेखापरीक्षा के मूल उद्देश्य की पूर्ति करता है। अतः नगर पंचायत, दलसिंहसराय के कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को प्रेषित करें।

प्रतिवेदन के इस कंडिका के आपत्ति के संदर्भ में उत्तर दिया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन सं. 360/12–13 के कुछ कंडिका का समाधान किया गया है। शेष का समाधान प्रतिवेदन उत्तरोत्तर भेजा जाएगा।

5. बजट प्राक्कलन

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82(5) के प्रावधान के अनुसार मुख्य पार्षद प्रत्येक 15 फरवरी को या उसके बाद आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन नगर पंचायत के समक्ष रखेगा। पुनः धारा 84 के अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक आगामी वर्ष हेतु बजट अंगीकार किया जाएगा तथा इसे स्थानीय निकायों के निदेशक/विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।

लेखापरीक्षा की अवधि में बजट प्राक्कलन की स्थिति निम्नानुसार थी–

विवरण	2012–13
आय (प्राक्कलित)	367908304.00
आय (वास्तविक)	21272450.00
अन्तर	346635854.00
अन्तर का प्रतिशत	94.21
व्यय (प्राक्कलित)	371807069.00
व्यय (वास्तविक)	17864118.00
अन्तर	353942951.00
अन्तर का प्रतिशत	95.19
अनुमोदन की स्थिति	अनुमोदन की तिथि 06.10.12 (7 माह विलंब से) प्रेषण की तिथि– 747 दिनांक 13.10.12

यह स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन तथा वास्तविकता में 94 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक का अन्तर है। अतः यह बजट वास्तविकता से भिन्न है। भविष्य में बजट को वास्तविकता के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाये तथा ससमय अनुमोदित कर राज्य सरकार को भेजा जाये।

कंडिका के इस आपत्ति के संदर्भ में उत्तर प्रदान किया गया कि भविष्य में दिये गये निर्देश के अनुपालन में बजट तैयार किया जाएगा। अगले अंकेक्षण को स्थिति से अवगत कराया जाएगा।

6. वित्तीय अधिदृश्य

नगर पंचायत, दलसिंहसराय में संधारित मुख्य रोकड़ बही के अनुसार 2012–13 में वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था–

क्र.सं.	विवरण	राशि
1	प्रारंभिक शेष	31379066.11
2	प्राप्ति	21272450.00
3	कुल आय	52651516.11
4	व्यय	17864118.00
5	अन्तशेष	34787398.11
6	बैंक खाता अन्तशेष (31.03.13)	
(i)	खाता– 11459257997 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दलसिंहसराय	878.00
(ii)	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दलसिंहसराय खाता– 11459224008	1557726.97
(iii)	खाता– 11459231004 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दलसिंहसराय (31.03.13)	5595545.79
(iv)	खाता– 11781531939 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3769576.49
(v)	खाता– 11781519593 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	657374.47
(vi)	खाता– 32072163816 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	612725.00
(vii)	खाता– 29050100008425 बैंक ऑफ बड़ोदरा	3222844.00
(viii)	डाकघर खाता (कबीर अन्त्येष्टि)	425050.00
(ix)	डाकघर खाता (पेंशन)	402273.00
(x)	कोषागार खाता	18754443.24
		34998436.96
7	रोकड़ बही का अन्तशेष	34787398.11
	2012–13 चालान रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं (+)	13750.00
		34801148.11
	2012–13 चालान रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं (+)	14923.00
		34816071.11
8	बैंक शेष तथा रोकड़ बही मध्य अन्तर राशि (34998436.96–34816071.11)	182365.85

अंकेक्षण आपत्ति–

(1) बैंक शेष तथा मुख्य रोकड़ बही के मध्य अन्तर राशि ₹182365.85 का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

(2) समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखायें।

106

आपत्ति के आलोक में जवाब प्रदान किया गया कि समाधान करते हुए अगले अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत किया जाएगा।

7. नगर पंचायत में संधारित सहायक रोकड़ बही के अनुसार कोषागार खाता के विरूद्ध संधारित सहायक रोकड़ बही का वर्ष 2012–13 का वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था–

टिप्पणी–

(1) अन्तर राशि ₹298 (18754443– 18754145) का कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

(2) समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाये। आपत्ति के जवाब में बताया गया कि समाधान कर प्रतिवेदित किया जाएगा।

सहायक रोकड़ बही की आय– व्यय की दर्शाती विवरणी 2012–13 नगर पंचायत में संधारित सहायक रोकड़ बही के अनुसार कोषागार खाता का वित्तीय संव्यवहार निम्नानुसार था–

क्रम	शीर्ष	कर सूद राशि	स्थायी कर्मी वेतन	मैचिंग ग्रांट	नगर प्रबंधक मानदेय	12th FC	13th FC	4th FC	SJSRY मद	घाट निर्माण जीर्णोद्धार	चापाकल	पार्षद भत्ता	निर्वाचन मद	कुल राशि
1	प्रारंभिक अवशेष	2885200	4167	5952227	14839	403541	1809035	nil	19841	1865260	1029840	83900	29500	
2	प्राप्ति													
(i)	अनुदान से	2040780	2211452	nil	280000	nil	1954000	10212551	nil	nil	nil	67200	no transaction	
(ii)	अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
3	कुल आय (1+2)	4925980	2215619	2952227	294839	403541	3763035	10212551		1865260	1029840	151100		
4	व्यय													
(i)	योजना मद	2246844	3054	491282	120000	292724	2196547	3394860		126873	225177	40500		
(ii)	अनय	–	–	–	–	–	–	–		–	–	–		
5	कुल व्यय	2246844	3054	491282	120000	292724	2196547	3394860		126873	225177	40500		
6	अन्तशेष	2679136	2212565	2460945	174839	110817	1566488	6817691	19841	1738387	804663	110600	29500	18725472

7 कोषागार बैंक खाता का अंतशेष (31.03.13) = ₹18754443.24

8	रोकड़ बही का अन्तशेष (31.03.13)	18725472
	challan not entered in cash book 2012-13 (+)	13750
	challan not entered in cashbook 2012-13 (+)	14923
		18754145
9	अन्तर राशि रोकड़ बही शेष तथा कोषागार खता शेष (18754443–18754145)	298

10579

8. सहायक रोकड़ बही के अनुसार मद, चापाकल, कबीर अन्त्येष्टि, विकास मद, जनगणना मद, शिक्षक नियोजन कन्टीजेन्सी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, एस.जे.एस.आर.वाई, आर्थिक जनगणना, बी.पी.एल. कन्टीजेन्सी, राशन कार्ड वितरण मानदेय, 18वीं पशुगणना, राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना, आई.डी.एस.एम.टी तथा बी.आर.जी.एफ. का वर्ष 2012–13 का वित्तीय संव्यवहार का ब्यौरा निम्नानुसार है।

अंकेक्षण आपत्ति–

(1) समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

आपत्ति के आलोक में उत्तर प्रदान किया गया कि अनुपालन की कार्रवाई की जायेगी। अंकेक्षण को अवगत कराया जायेगा।

सहायक रोकड़ बही की आय– व्यय की दर्शाती विवरणी 2012–13

क्रम	मद	प्रारंभिक अवशेष	प्राप्ति		कुल प्राप्ति	व्यय		कुल	अन्तशेष	बैंकशेष नाम (31.03.13)
			अनुदान	अन्य		योजना	अन्य			
1	चापाकल	124382							124382	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता– 11459224008 1557726 डाकघर में जमा 425050
2	कबीर अन्त्येष्टि	66550	672000	--	738550	145500	—	145500	593050	
3	विकास मद	478244							478244	
4	जनगणना मद	293870	50846	–	344716	192096	–	192096	152620	
5	शिक्षक नियोजन कन्टीजेन्सी	5000							5000	
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन	—	2633600	–	2633600	2233500	–	2233500 ब्याज	400100 229380	कुल 1982776 समाधानित
									1982776	
7	SJSRY	785030	3000000	–	3785030	219500	–	219500	3565530	SBI A/c 11781531939 3769576.49 P/L A/c 19841
8	आर्थिक जनगणना	1161.79							1161.79	
9	बी.पी.एल. कन्टीजेन्सी	3485							3485	
10	राशन कार्ड वितरण मानदेय	2985							2985	
11	18वीं पशुगणना	4000							4000	
								ब्याज	212255	3789417 समाधानित
									3789417	
12	राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना	460619+ 171160(सूद)	–	25595	657374	182068		182068	475306	643148.47 SBI A/c 11781519593 5595545 SBI-11459231004
13	IDSMT	4809253	–	–	4809253	178111		178111 ब्याज	4631142 964403	
									5595545	
14	BRGF	5743792	699138	179689	6622619	3399269	506	3399775	3222844	बैंक खाता, बैंक ऑफ बड़ोदा 29050100008425 3222844

2 अनुदान

लेखापाल रोकड़ बही के अनुसार निम्नलिखित अनुदान नगर पंचायत को वर्ष 2012–13 में प्राप्त हुआ था।

क्र.सं.	पत्रांक / दिनांक	राशि	मद / विवरण
1	जिला पदाधिकरी, समस्तीपुर के पत्रांक 267 दिनांक 09.04.12 द्वारा बैंक चेक सं. 384064 दिनांक 09.04.12	147000.00	कबीर अन्त्येष्टि बैंक खाता– 114559224008, एस.बी.आई. में जमा
2	जिला कार्यक्रम पदाधिकरी, समस्तीपुर के पत्रांक 2753 दिनांक 26.04.12 द्वारा बैंक चेक सं.– 083661 दिनांक 26.04.12	49000.00	शिक्षक नियत वेतन बैंक खाता सं.– 32072163816 में जमा
3	सरकार के संयुक्त सचिव न.वि. एवं आ.वि., पटना के पत्रांक 01 / 04.04.12 द्वारा	620000.00	13वें वित्त मद, General performance grant, P/L A/c
4	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा पत्रांक 6142 दिनांक 20.10.12 द्वारा चेक 516251 दिनांक 20.10.12	1580700.00	नगर शिक्षक को मानदेय, बैंक खाता 32072163816, एस.बी. आई. में जमा
5	सरकारी के संयुक्त सचिव सह निदेशक न.वि. एवं आ.वि. के पत्रांक 29 दिनांक 19.07.12	1012000.00	13वें वित मद, General basic grant प्रथम किस्त, P/L A/c
6	सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनधारी को माह अप्रैल 12 से सितम्बर 12 तक	1296600.00	पेंशन वितरण सामाजिक सुरक्षा कोषांग
7	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के पत्रांक 1820 दिनांक 31.10.12 द्वारा चेक सं. 003736 दिनांक 30.12.12	5000.00	शिक्षक नियोजन कार्य सम्पन्न कराने हेतु आकस्तिक मद
8	सरकार के संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 44 दिनांक 01.10.12	67200.00	वित्तीय वर्ष 2012–13 में निर्वाचित अध्यक्ष / उपाध्यक्ष पार्षदों के भत्ते मद
9	नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना एस. जे.एस.आर.वाई, आर.टी.जी.एस.	3000000.00	एस.जे.एस.आर.वाई बैंक खाता 11781531939, एस.बी.आई. में जमा
10	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर सा.सु.को. पत्रांक 1040 एवं 1041 दिनांक 10.11.12	285900.00	पेंशन राशि वितरण, बैंक खाता 11459224008

102

11	संयुक्त सचिव न.वि. एवं आ.वि., पटना के पत्रांक 36 दिनांक 31.08.12 द्वारा	322000.00	13वें वित्त मद, general performance मद द्वितीय किस्त आवंटन
12	निदेशक सा.सु. कोषांग, समस्तीपुर के पत्रांक 931 दिनांक 13.09.12	8000.00	सामान्य घटक के अधीन कार्यालय व्यय बैंक खाता 11459224088 में जमा
13	सरकार के संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1541 दिनांक 13.01.12 चेक/ड्राफ्ट सं. 421378 दिनांक 03.01.2012	40000.00	नगर प्रबंधक मानदेय बैंक खाता– पी.एल. खाता में जमा
14	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना समस्तीपुर के पत्रांक 6721 दिनांक 14.12.12	319800.00	न.प. के शिक्षक का मानदेय माह अक्टूबर 12 से नवम्बर 12
15	सरकार के संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 41 दिनांक 19.09.12 द्वारा	240000.00	वित्तीय वर्ष 2012–13 में कार्यरत नगर प्रबंधक का मानदेय
16	सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर के पत्रांक 16 दिनांक 05.01.13 द्वारा	168000.00	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान (विशेष घटक) खाता– 11459224008
17	सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर के पत्रांक 15 दिनांक 15.01.13	357000.00	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान
18	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, समस्तीपुर द्वारा पत्रांक दिनांक 12.12.12	651000.00	समाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत माह अक्टूबर 12 से दिसंबर 12 तक खाता– 11459224008
19	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना समस्तीपुर के पत्रांक 428 दिनांक 29.01.13	319800.00	कार्यरत नगर शिक्षक वेतन माह दिसम्बर 12 एवं जनवरी 13
20	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर सामाजिक सुरक्षा कोषांग समस्तीपुर द्वारा दिनांक 11.03.13	400100.00	राज्य योजनान्तर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि जनवरी 2013 तक मार्च 2013
21	जिलाधिकारी समस्तीपुर जिला जनगणना कोषांग समस्तीपुर पत्रांक 22 दिनांक 22.02.13	41250.00	जनगणना 2011 द्वितीय चरण के प्रशिक्षण भत्ता

22	सरकार के संयुक्त सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 88 दिनांक 04.03.13 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में चतुर्थ राज्यवित (i) विवरणी–2, विपत्र सं. 14/2012–13 (ii) विवरणी–3, विपत्र सं. 15/2012–13 (iii) विवरणी–4, विपत्र सं. 16/2012–13 (iv) विवरणी–1, विपत्र सं. 13/2012–13	 947768.00 147550.00 2000000.00 2211452.00	चतुर्थ वित मद
23	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर, जिला जनगणना कोषांग, समस्तीपुर के पत्रांक 22 दिनांक 22.03.13	9096.00	जनगणना 2011 द्वितीय चरण के कार्यालय हेतु व्यय
24	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना समस्तीपुर के पत्रांक 1245 दिनांक 12.03.13 द्वारा वेतन	257463.00	वेतन आवंटन खाता 32072163816, एस.बी.आई. में
25	उपविकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, समस्तीपुर ज्ञापांक 323 दिनांक 14.03.13 चेक – 342180 दिनांक 25.03.13	100901.00	बैंक खाता 29050100008425 बी.आर.जी.एफ. मद
26	तथैव ज्ञापांक 325 दिनांक 14.03.13 चेक 342814 दिनांक 25.03.13	2775.00	बी.आर.जी.एफ. मद
27	तथैव ज्ञापांक 324 दिनांक 14.03.13 चेक 342176 दिनांक 25.03.13	595462.00	बी.आर.जी.एफ. मद
		17202817.00	

(i) अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था उसका संधारण कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(ii) नगर पंचायत में वर्ष 2012–13 में कुल ₹17202817.00 अनुदान प्राप्त हुआ था। इस राशि को नियमानुसार व्यय किया जाए अथवा इसे राज्य सरकार को वापस किया जाए।

(iii) सभी अनुदान का अनुदान पत्र, वर्ष 2012–13 व्यय की गई राशि, उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा अवशेष राशि की विवरणी को अगले अंकेक्षण दल को उपलब्ध कराया जाए।

आपत्ति के आलोक में उत्तर प्रदान किया गया कि वर्णित टिप्पणी के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जायेगा।

10. सैरात बन्दोबस्ती की राशि जमा नहीं

निम्न विवरण के अनुसार सैरात (टिन– टिकट निबंधन) की शेष राशि ₹166000.00 नगर पंचायत निधि में जमा नहीं पायी गयी–

100

सैरात– टिन– टिकट निबंधन

बन्दोबस्तदार– श्री राम खेलावन राय

पिता– स्व. जीवछ राय,

केवटा, दलसिंहसराय

बन्दोबस्ती की राशि– ₹249000.00

जमा की गयी राशि– ₹83000.00

राशि जमा नहीं– (249000– 83000) =₹166000.00

राशि जमा करने हेतु नोटिस– पत्रांक– 749 दिनांक 08.11.12

पत्रांक– 839 दिनांक 29.11.12

पत्रांक– 26 दिनांक 14.01.13

वकालत नामा नोटिस– दिनांक 23.03.2013

अंकेक्षण टिप्पणी–

बन्दोबस्तदार श्री राम खेलावन राय से ₹166000 वसूलकर, वसूली तथा जमा के विवरण से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि नियमानुसार बकाया राशि की वसूली हेतु आवश्यक कारवाई की जा रही है। अंकेक्षण को परिणाम से अवगत कराया जाएगा।

11. मोबाइल टावर शुल्क

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं. 3691 दिनांक 08.10.12 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 (समय– समय पर संशोधित) की धारा 127 की उपधारा 1(सु0) तथा 41(1) के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, संचार टावर एवं संबंधित संरचना पर कर के संबंध में नियमावली 2012 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित प्रत्येक टावर पर प्रतिटावर पंजीकरण शुल्क ₹30000 तथा वार्षिक नवीनीकरण शुल्क ₹8000 प्रति टावर प्रति वर्ष देय होगा।

अंकेक्षण टिप्पणी–

नगर पंचायत, दलसिंहसराय द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत की गयी मोबाईल टावरों की सूची के अनुसार वर्ष 2012–13 की समाप्ति तक न0पं0 क्षेत्र के अन्तर्गत कुल 9 मोबाइल टावर थे। इन टावरों पर न0पं0 को पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क का भुगतान पूर्णतया नहीं किया गया है। इन 9 मोबाइल टावरों पर कुल बकाया राशि ₹536000 (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– III पर) था। इस राशि की वसूली काफी दिनों से न0पं0 द्वारा नहीं की गयी और न ही दिशा में समुचित प्रयास किया गया।

अतः उपरोक्त बकाया राशि ₹536000 की वसूली शीघ्रातिशीघ्र की जाए एवं अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि नियमानुसार वसूली हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

12. अनुज्ञप्ति

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 342, नगरपालिका क्षेत्र में बिना नगरपालिका की अनुमति/अनुज्ञप्ति से गैर आवासीय प्रयोजनों के लिये परिसरों का उपयोग नहीं करने का उपबन्ध है। अतः नगरपालिका क्षेत्र में व्यवसायिक क्षेत्र में व्यवसायिक कार्य हेतु धारा 342 की अनुसूची के अनुसार प्रयोजनों/व्यवसाय पर नगरपालिका से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है।

इसी अनुसूची की क्रम सं. 16 में बैंकिंग क्षेत्र का जिक्र है। अतः नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले बैंकिंग प्रतिष्ठानों को नगर पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय करने हेतु अनुज्ञप्ति लेनी चाहिए।

नगर पंचायत के द्वारा जो सूची उपलब्ध करायी गयी उसके अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में कार्यरत शाखाओं की कुल संख्या 08(विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट– पर) है। जिसके अनुसार अंकेक्षण वर्ष 2012–13 में प्रति शाखा ₹2500 की दर से 8x 2500= ₹20000 की हानि नगर पंचायत को हुई।

अतः अनुज्ञप्ति शुल्क की मांग एवं वसूली पंजी का संधारण कर बैंकों के साथ वार्ता कर तथा सुसंगत प्रस्ताव पर विचार किया जाये तथा शुल्कों का निर्धारण किया जाये। क्योंकि बैंक भी आम जनता की सेवा करते हैं तथा नगर पंचायत के लिये जरूरी संस्थान है।

अतः ₹20000 की प्राप्ति कर (अथवा प्रस्तावित राशि) इसके स्थिति से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

आपत्ति के आलोक में जवाब प्रदान किया गया कि कर लागू करने हेतु समिति की बैठक में प्रस्तुत करते हुये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

13. मुद्रांक शुल्क जमा/वसूली नहीं

नगर पंचायत, दलसिंहसराय के द्वारा सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया था। वर्ष 2012–13 के लिये बन्दोबस्त की गयी सैरातों के बन्दोबस्तदारों से 3 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क के साथ बन्दोबस्ती का निबंधन नहीं किया गया। राज्य सरकार को इस मद में हुई हानि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. सं.	सैरात	राशि	3% मुद्रांक शुल्क	कुल	गैर न्यायिक मुद्रांक	शेष	बन्दोबस्तदार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	होर्डिंग विज्ञापन	9500	285	285	---	285	रतन कु. साह
2	पड़ाव शुल्क	191000	5730	5730	100	5630	अनिल सिंह पी.वी.
3	मवेशी फाटक	6900	207	207	100	107	रामचन्द्र पोदार
4	सार्वजनिक शौचालय	12600	378	378	100	278	रंजीत कुमार
5	वाहन पार्किंग	50300	1509	1509	100	1409	अनिल सिंह, पी.पी.

6	साइकिल रिक्शा निबंधन (टिन–टिकट)	249000	7470	7470	50	7420	रामखेलावान राय
7	सफाई कार्य	68497	2055	2055	50	2005	रामखेलावान राय
						17134	

अंकेक्षण टिप्पणी–

राज्य सरकार के पत्रांक 1920/मुख्य सचिव/ दिनांक 14.08.2002 एवं पत्रांक 549 दिनांक 15.03.2005 के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में की गयी किसी भी प्रकार की बन्दोबस्ती के एकरारनामों का निबंधन किया जाना है। जिसके अन्तर्गत बन्दोबस्ती की राशि का 3% मुद्रांक शुल्क लगता है। जबकि 100 तथा 50 के गैर न्यायिक स्टाम्प कर एकरारनामा दिया गया जिसके कारण राज्य सरकार को कुल ₹17134 की हानि हुई।

अतः ₹17134 की प्राप्ति कर तथा राज्य सरकार के उचित शीर्ष में जमा कर विवरण से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

आपत्ति के आलोक में उत्तर दिया गया कि मुद्रांक शुल्क प्राप्ति हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसे अगले अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जायेगा।

14. वसूली की गई राशि जमा नहीं

नगर पंचायत, दलसिंहसराय के अंकेक्षण के दौरान पाया कि कर संग्राहक श्री शंभु पोद्दार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 (अद्यतन) में वसूली गई होल्डिंग टैक्स की राशि नगर पंचायत निधि कोष में जमा नहीं की गई थी। वसूली हेतु प्रयोग की गई एच रिसीट एवं प्रत्येक बुक से संबंधित वसूली गई राशि निम्न है–

क्र.सं.	एच.रसीद सं.	वसूली गई राशि (रू. में)	वसूली गई राशि जमा नहीं (रू. में)
1	14008–14100	100081.00	100081.00
2	14101–14200	115731.98	115731.98
3	14201–14300	85880.91	85880.91
4	15101–15200	35495.78	35495.78
5	15201–15300	48254.74	48254.74
6	15301–15400	82906.49	82906.49
7	15401–15500	66289.49	66289.49
8	15501–15600	83638.88	83638.88
9	15601–15685	94203.81	94203.81
		712483.08	712483.08

अतः श्री पोद्दार द्वारा वसूली गई कुल राशि ₹712483.08 नगर पंचायत निधि कोष में जमा कराकर अगले अंकेक्षण को स्थिति से अवगत कराया जाये। साथ ही इस कृत्य को **Temporary misappropriation** मानते हुए वसूलीकर्त्ता पर उचित कार्रवाई की जाय।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि निर्देशानुसार श्री शंभु पोददार से राशि वसूली की कार्रवाई की जा रही है। फलाफल से अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया जाएगा।

15. भवन निर्माण शुल्क की राशि जमा नहीं

नगर पंचायत, दलसिंहसराय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री शिशिर कुमार वित्तीय वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 (अंकेक्षण प्रतिवेदन सं. 360/12–13 के कंडिका 13 के अनुसार) में भवन निर्माण शुल्क की वसूली गई राशि कुल ₹94951 अभी तक नगर पंचायत निधि कोष में जमा नहीं की गयी थी। भवन निर्माण शुल्क की राशि भवन निर्माण कर्ता द्वारा नगर पंचायत को डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं बैंकर्स चेक के रूप में जमा की गई थी। (डिमाण्ड ड्राफ्टों एवं बैंकर्स चेक की सं., जारी करने की तिथि एवं राशि की विवरणी प्रतिवेदन की परिशिष्ट– V पर) श्री कुमार द्वारा इन को निर्धारित तिथि के अन्दर संबंधित बैंक में जमा नहीं किया गया जिसके कारण से नगर पंचायत ₹94951 की राशि से अभी तक वंचित है।

अतः ₹94951 की राशि संबंधित व्यक्ति/संस्थान से नगर पंचायत निधि कोष में जमा कराकर अगले अंकेक्षण को स्थिति से अवगत कराया जाये। अगले अंकेक्षण को स्थिति से अवगत कराया जाये। आपत्ति के आलोक में जवाब प्रदान किया गया कि श्री शिशिर कुमार से राशि जमा कराते हुए फलाफल से अंकेक्षण को अवगत कराया जाएगा।

16. सरकारी भवनों का बकाया कर

नगर पंचायत, दलसिंहसराय द्वारा प्रस्तुत की गयी सरकारी भवनों के बकाया करों की विवरणी के अनुसार 31.03.13 तक सरकारी भवनों पर कुल बकाया ₹67811.74 (विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट– VI पर) था।

अतः उपरोक्त बकाया राशि की वसूली शीघ्रातिशीघ्र किया जाये तथा फलाफल को अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये।

आपत्ति के विरूद्ध जवाब दिया गया कि नियमानुसार वसूली का प्रयास किया जा रहा इस कार्य हेतु कर संग्राहक को निर्देशित किया गया है। वसूली उपरान्त सूचना दी जाएगी।

17. भवन कर के मांग एवं वसूली की स्थिति

नगर पंचायत, दलसिंहसराय द्वारा नगर पंचायत के मुख्य करों से संबंधित मांग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। मौखिक एवं लिखित रूप से कहने के बावजूद नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत बकाया गृह कर एवं शिक्षा सेस तथा स्वास्थ्य सेस की राशि की स्थिति से लेखापरीक्षा दल को अवगत नहीं कराया गया।

नगर पंचायत द्वारा उत्तर में बताया गया कि उपरोक्त करों की वसूली का प्रयास किया जाएगा। अतः उपरोक्त बकाया करों के विवरण के लिए मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाये तथा तात्कालिक स्थिति से अगले लेखापरीक्षण दल को अवगत कराया जाये।

आपत्ति के आलोक में उत्तर प्रदान किया गया कि कर संग्राहक श्री इजहार हुसैन को मांग एवं संग्रह पंजी के संधारण हेतु निर्देशित किया गया है। इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाएगा।

18. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

नगर पंचायत, दलसिंह सराय में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजनान्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु (i) जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र, पटना (ii) इन्फोसिस एवं सोलुशन, पटना (iii) सर्वसेवा, बेगुसराय के साथ एकरारनामा किया गया था।

1 एकरारनामा– 24.09.12	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र, पटना
2 एकरारनामा– 12.10.12	इन्फोसिस एवं सोलुशन, पटना
3 एकरारनामा– 27.08.12	सर्वसेवा बेगुसराय
4 कार्यादेश 13.10.12 13.10.12 13.10.12	जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र इनफोसिस एवं सोलुशन, पटना सर्वसेवा, बेगुसराय

5 भुगतान की राशि – जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र, पटना

क्र.सं.	सामग्री	अभ्यर्थी	स्वीकृत दर	कुल राशि
1	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	90	6600	594000.00
2	फैशन डिजाइनिंग	01	6600	6600.00
3	स्पोकेन इंगलिश	02	3700	7400.00
4	ब्यूटीशियन	19	5700	108300.00
5	मल्टीमिडिया	01	5600	5600.00
				721900.00

चेक सं. 798655 दिनांक 12.03.13 द्वारा राशि ₹219500.00 का भुगतान जनहित सांस्कृतिक कला केन्द्र, पटना को किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

(1) नोडल अधिकारी द्वारा उपस्थिति पंजी का भौतिक जांच प्रतिवेदन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(2) प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था द्वारा ट्रेनर की सूची तथा उनकी शैक्षणिक/योग्यता प्रमाण पत्र, विषय का पाठयक्रम (syllabus) अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया था, इसे अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाये।

(3) सरकार के दिशा–निर्देश के अनुरूप संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित लाभार्थी को 30 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराना है अर्थात job consultancy का कार्य करना है।

अतः संस्था द्वारा इस क्षेत्र में अनुभव प्राप्ति की जानकारी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि नोडल पदाधिकारी अनुपस्थित है। अगले अंकेक्षण में जवाब एवं अभिलेख प्रस्तुत कर दिया जायेगा। जवाब और अभिलेख प्रस्तुत किए जाने तक भुगतान की गई राशि ₹219500.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

19. विद्युत विपत्र भुगतान

नगर पंचायत, दलसिंह सराय में विद्युत विपत्र की संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि विद्युत विपत्र में विलम्ब शुल्क (DPS) की राशि का भुगतान नगर पंचायत के द्वारा किया गया था। यह अनियमित है। विलम्ब शुल्क (DPS) राशि निम्नानुसार थी–

विपत्र सं.	विपत्र माह	विपत्र तिथि	भुगतान की राशि	विलम्ब शुल्क
8515/DLW/552/46	02/2013	16.03.13	239930.00	6674 + 7310 = 13984
8483/DLW/CS2/457	02/2013	16.03.13	73990.00	1064+ 1071 =2135
				16119.00

अंकेक्षण आपत्ति–

1 सरकार के निर्देशानुसार राशि ₹16119.00 का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। राशि ₹16119.00 की हानि नगर पंचायत कोष को हुई थी जो संबंधित संस्था से वसूलनीय है।

2 विद्युत विपत्र की राशि विलंब शुल्क वास्ते पूर्व वर्षो में भुगतान नहीं किया गया था किन्तु उपरोक्त विपत्र में विलंब शुल्क का भुगतान किया गया था, इसका कारण अगले अंकेक्षण में स्पष्ट करें।

जवाब में कहा गया कि नियमानुसार जॉचकर आवश्यक अभिलेख/पत्र से अवगत करा दिया जाएगा।

20. विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं/गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया जाना

1. विलम्ब शुल्क– अंकेक्षण को प्रस्तुत की गयी, योजनाओं की विवरणी के अनुसार नगर पंचायत, दलसिंहसराय के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में संवेदकों के द्वारा निर्धारित समयसीमा तक योजनाओं को पूर्ण नहीं किया गया। संचिकाओं के नमूना अवलोकन के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि संवेदकों के विपत्र से विलम्ब शुल्क की कटौती किए बिना उन्हें विपत्र का पूर्ण भुगतान कर दिया गया जबकि संवेदकों के विपत्र से एकरारनामा एफ–2 के क्लेम– 2 के अनुसार विलम्ब के कार्यान्वयन पर प्राक्कलित राशि का ½% (अधिकतम 10%) की कटौती करनी चाहिए थी।

अतः विलम्ब शुल्क की कुल राशि ₹589991.98 (विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट– VII पर) की राशि संवेदकों/जिम्मेवार व्यक्तियों से वसूलकर, विवरण से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

2. गुणवत्ता परीक्षण प्रस्तुत नहीं– संचिकाओं के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि किसी भी संचिका में योजना कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया गया।

कृपया इसके कारण से अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाये।

3. योजना विवरणी– नगर पंचायत के द्वारा योजना विवरणी मदवार तथा अंकेक्षण दल के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप में प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त टिप्पणी इसी योजना विवरणी के आधार पर की गई है।

आपत्ति के जवाब में कहा गया कि कंडिका 1, 2 एवं 3 के आलोक में जॉच कर कार्रवाई की जायेगी।

21. कार्यपालक से वार्त्तालाप

लेखापरीक्षा के दौरान सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों से महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर समय– समय पर वार्त्तालाप किया गया था।

22. लेखापरीक्षा परिणाम

क्र.सं.	विवरण	राशि
1.	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	2220490.80
2.	अंकेक्षण के द्वारा आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	219500.00

(विस्तृत विवरणी परिशिष्ट– VII पर)

23. सामान्य अभियुक्ति :–

नगर पंचायत के लेखाओं के रख– रखाव में बहुत सुधार की आवश्यकता है। नगर पंचायत के पास अभी तक मुख्य करों के मॉग एवं वसूली पंजी संधारित नहीं है। जिससे नगर पंचायत को स्वयं भी बकाये राजस्व की जानकारी नहीं थी। अनुदान पंजी तथा अग्रिम पंजी जैसे– महत्त्वूपर्ण अभिलेख नगर पंचायत के पास संधारित नहीं थे। अनुदान की एक बड़ी राशि वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी थी जिसके सदुपयोग के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए। मुख्य करों के साथ सैरात के दरों की पुनरीक्षण की भी जरूरत है। नगर पंचायत में कार्य अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों द्वारा लिया जा रहा था।

–हस्ता0–
(आलोक कुमार)
स.ले.प.अ.
अनुमोदित
उपमहालेखाकार
––––सह––––
स्थानीय लेखापरीक्षक
बिहार, पटना

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / 14460/2137 दिनांकः— 18.12.14

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, दलसिंह सराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं / आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

— ह0 —

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / 14460/2137 दिनांकः— 18.12.14

आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषितः—

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, समस्तीपुर

18/12/14

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श.स्था.नि. स.प्र.–।
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
बिहार,पटना

नगर पंचायत दलसिंहसराय

परिशिष्ट - I (कंडिका-3 से संबंधित)

अभिलेखों की सूची जिन्हें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया तथा जिनकी नमूना जाँच की गयी

1. रोकड़ बाह्य रोकड़ बही
2. लेखापाल रोकड़ बही
3. सामान्य रोकड़ बही
4. भण्डार-पंजी (गृहकर रसीद, विविध रसीद)
5. सैरात पंजी
6. बजट
7. SJSRY प्रशिक्षण संबंधी संचिका
8. बंदोबस्ती पंजी
9. विद्युत विपत्र संचिका
10. योजना से संबंधित संचिका
11.

आलोक
स०ले०प०अ०